(v) The vehicle shall move with the Drilling Machine attached with a compressor only during the day time.

(vi) The operation of the vehicle would be subject to payment of tax, if any, leviable under the provisions of the Motor Vehicle, Taxation Act, or any other Act of the concerned State.

(vii) The owner of the vehicle, shall before moving the vehicle and the drilling machine boaring rig, seek prior permission of the concerned Governments of the States through which the vehicle would move for moving the vehicle and the State Government would accord permission, subject to such conditions imposed by them keeping in view the local conditions of roads, bridges, culverts and volume of movement of vehicular traffic etc.

SCHEDULE

TYPE OF VEHICLE

Drilling Machine|Boaring Rig mounted on Truck.

[No. RT-11042|16|90-MVL]
G. K. PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 30, 1991/ज्येष्ठ 9, 1913
No. 320] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 30, 1991/JYAISTHA 9, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 1991

का.आ. 361 (अ).—यतः केन्द्र सरकार की यह राय है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) के अध्याय-4 के तहत पंजीकरण के प्रयोजन के लिए मोटर वाहन नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमावली के रूप में उल्लिखित) के नियम 93 के उपनियमों क्रमशः (4) और (6) में

निर्धारित ऊंचाई तथा ओवर हैंग से संबंधित नाप-तौल से अधिक नाप-तौल की अनुमति ऐसी ड्रिल मशीनों के लिए दी जानी चाहिए जो खास तौर पर जल ड्रिलिंग के प्रयोजन हेतु बनाई एवं निर्मित्त की गई है जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित (इसके बाद वाहन की उक्त श्रेणी के रूप में उल्लिखित) है।

2. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 110 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त श्रेणी के वाहनों को, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उक्त नियमावली के नियम 93 के उपनियम (4) और (6) के प्रावधानों से छूट देती है :—

(1) वाहन की सकल ऊंचाई 15 फीट से अधिक नहीं होगी।

(2) वाहन के आगे अथवा पीछे निकले हुए ड्रिलिंग मास्ट का भाग 11 फुट से अधिक नहीं होगा और इसके सिरों पर लाल बत्ती लगी होनी चाहिए।

(3) वाहन की गति 20 कि.मी. प्रतिघंटा से अथवा संबंधित राज्य सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन चल रहा है, द्वारा निर्धारित न्यूनतम गति सीमा से अधिक नहीं होगी।

(4) वाहन की पूरी चौड़ाई को दर्शाते हुए वाहन के आगे और पीछे चारों कोनों पर लाल झण्डे लगाए जाएंगे जिससे वाहन की पूरी चौड़ाई का पता चल सके और जिससे आगे तथा पीछे से आने वाले वाहनों को उचित रूप से सावधान किया जा सके।

(5) कम्प्रेसर युक्त ड्रिलिंग मशीन के साथ वाहन केवल दिन के समय ही चलेगा।

(6) वाहन का प्रचालन मोटर वाहन कराधान अधिनियम अथवा संबंधित राज्य के किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगने वाले कर, यदि कोई हो, के भुगतान के अध्यधीन होगा।

(7) वाहन तथा ड्रिलिंग मशीन बोरिंग रिग के प्रचालन से पहले वाहन का मालिक संबंधित राज्य सरकार से, जिस राज्य से होकर वाहन गुजरेगा, पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और राज्य सरकार सड़कों की स्थानीय स्थिति पुलों, गलियों, सड़क पर चलने वाले वाहनों की संख्या इत्यादि को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा लगाई गई शर्तों के अध्यधीन अनुमति देगी।

अनुसूची

वाहन की किस्म

ट्रक पर लगी हुई (माउंटिड) ड्रिलिंग मशीन/बोरिंग रिग।

[सं. आर टी-11042/36/90-एम वी एल]

जी.के. पिल्ले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Tansport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 1991

S.O. 361(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that for the purpose of registration under Chapter IV of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) (herein after referred to as the said Act), dimensions, in excess of the dimensions relating to height and overhang prescribed in sub-rules (4) and (6) respectively of Rule 93 of the Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), should be permitted for the drilling machine specially designed and constructed for the purpose of drilling water, as described in the Schedule below (hereinafter referred to as the said class of vehicle).

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 110 of the said Act, the Central Government hereby exempts the said class of vehicles from the provisions of sub-rules (4) and (6) of Rule 93 of the said Rules, subject to the following conditions, namely :—

(i) Overall height of the vehicle shall not exceed 15 feet.

(ii) the overhang|from projection of the drilling mast protruding out of the vehicle either on front or rear shall not exceed eleven feet and should have red lights attached at the extreme ends of overhang| front projection.

(iii) Speed of the vehicle shall not exceed 20 K.M. per hour or the lower speed limit as may be prescribed by the concerned State Government in whose jurisdiction the vehicle is moving;

(iv) red flags will be put on all the four corners of vehicle both at the Front and the rear, indicating the full width of vehicle, so as to give reasonable caution to the vehicular traffic coming from behind and front.